राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी, सी–स्कीम,सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांकः एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो/20पार्ट–II/1160 दिनांकः 25/7/22

संशोधित आदेश

_विभागीय आदेश क्रमांक एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो/जनरल/20/6326 दिनांक 24.03.2021 द्वारा गाईडलाईन के बिन्दु संख्या 2.7 आवर्ती व्यय में उपबिन्दु VI निम्नानुसार जोड़ा गया था :–

"नगर निकायों में संचालित इन्दिरा रसोईयों में लाभार्थी के फोटो खींचने, कूपन जारी करने, सीसी टीवी कैमरा मॉनिटरिंग, वेब पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने इत्यादि कार्य हेतु 01 मई 2021 से जिले में संचालित सभी रसोईयों में जिला कलक्टर (पदेन अध्यक्ष, जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति) (इ.र.यो.) के स्तर से प्रति रसोई एक कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाया जाएगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित सीमा अधिकतम 7500 रूपये प्रतिमाह होगा, जिसका भुगतान जिला मुख्यालय की नगरीय निकायों द्वारा आवर्ती व्यय की निर्धारित सीमा राशि 3.00 लाख रूपये की वार्षिक सीमा के अन्दर होगा"।

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए बिन्दु सं. '2.7' के आवर्ती व्यय में उपबिन्दु VI में श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रावधानों में परिवर्तन किये जाने के पश्चात् निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :–

"नगर निकायों में संचालित इन्दिरा रसोईयों में लाभार्थी के फोटो खींचने, कूपन जारी करने, सीसी टीवी कैमरा मॉनिटरिंग, वेब पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने इत्यादि कार्य हेतु रसोई में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर दिनांक 01 अगस्त 2022 से रसोई संचालक संस्था द्वारा रखा जायेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 8658/– रूपये प्रतिमाह देय होगा जिसके मानदेय का पुनर्भरण आवर्ती व्यय की निर्धारित सीमा राशि 3.00 लाख की वार्षिक सीमा के अन्दर होगा।

संलग्न – श्रम विभाग की अधिसूचना।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो/20पार्ट–II/ 1161-71 दिनांकः 25/7/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानदेय राशि का भुगतान सम्बन्धित रसोई संचालक के राजकीय अनुदान राशि के मासिक ऑनलाईन जनरेट बिल के साथ जोड़ने हेतु इन्दिरा रसोई पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करने का श्रम करावें।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (इ.र.यो),समस्त राज।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. आयुक्त एवं पदेन सचिव, जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (इ.र.यो), समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त राजस्थान।
9. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय।
10. सम्बन्धित रसोई संचालक समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

(नरेश कुमार गोयल)
स्टेट नोडल अधिकारी